

तकनीकी कार्यपालक (पोल्यूशन रोधी) कल्याण संघ

बनाम

परिवहन विभाग के आयुक्त और अन्य

10 मार्च, 1997

[के. रामास्वामी और जी. टी. नानावती, न्यायमूर्ति]

सेवा कानून:

मोटर वाहन अधिनियम, 1989:

पदोन्नति-तकनीकी प्रदूषण रोधी स्तर परीक्षण निरीक्षक-मोटर वाहन निरीक्षक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के रूप में पदोन्नति का दावा करना सरकार को पद बनाने और उपयुक्त पदोन्नति अवसर प्रदान करने का निर्देश देना इसी बीच कनिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों को मोटर वाहन निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। सरकार ने तकनीकी प्रदूषण-रोधी स्तर परीक्षण निरीक्षण को बढ़ावा देने के लिए मार्ग पदोन्नति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया न्यायाधिकरण द्वारा अवमानना याचिका खारिज-मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित, मोटर वाहन निरीक्षकों के संवर्ग का वैधानिक आधार है-मोटर वाहन निरीक्षक T.A.P.L.T से अलग हैं।-बाद वाले की वैधानिक संवर्ग अधिकारियों के साथ कोई समानता नहीं हो सकती-न्यायाधिकरण निर्देश देने नीति निर्धारित करने या पदोन्नति के रास्ते बनाने के लिए निर्देश जारी करने में सक्षम नहीं है। यह उपयुक्त सरकार पर होगा कि वह नीति बनाए न्यायाधिकरण अवमानना याचिका को अस्वीकार करने में सही था-अवमानना।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 1988-90/1997

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ओ. ए. सं. 2193/91, 3199/92 और 1329/1993 के 17.7.96 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से एम. एन. कृष्णमणि, आर. डी. उपाध्याय।

उत्तरदाताओं के लिए सुभाष चंद्र जैन।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

अनुमति दी गई।

बहाली के लिए आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, चूक के लिए 11 दिसंबर, 1996 को खारिज की गई विशेष अनुमति याचिकाओं की वकील की गैर-उपस्थिति, हालांकि मामला बुलाया गया था दो बार, आदेश वापस ले लिया जाता है।

हमने अधिवक्ता को गुण-दोष के आधार पर सुना है। अपीलार्थी संघ प्रदूषण स्तर परीक्षण निरीक्षकों का मोटर वाहन निरीक्षकों के समतुल्य पुनर्वादियों द्वारा पदोन्नति का माध्यम खोलने के लिए समर्पित अभ्यावेदन के उपरांत न्यायाधिकरण ने 24 अप्रैल, 1992 के आदेश द्वारा उत्तरदाताओं को पद बनाने और उपयुक्त पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए एवं उक्त उद्देश्य के लिए समय निर्धारित करने के लिए निर्देश दिया था। इस बीच, जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कनिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों को मोटर वाहन निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा था, पुनर्वादियों ने न्यायाधिकरण में न्यायादेश के कार्यान्वयन के लिए अवमानना को परिलक्षित करते हुए, वाद दायर किया। चूंकि, पदोन्नत मोटर वाहन निरीक्षकों ने पुनर्वादियों ने आवेदन दायर किया यह कथित करते हुए कि प्रत्यर्थियों ने न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन किया। इसी बीच, सरकार ने प्रदूषण रोधी स्तर परीक्षण निरीक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसरों के सृजन के प्रस्ताव

को ठुकरा दिया। पुनर्वादियों ने अवमानना को अंकित कर पुनः वाद दायर किया, जिसे खारिज कर दिया। इस प्रकार, विशेष अवकाश द्वारा यह पुनर्वाद।

यह देखा जाएगा कि, निश्चित रूप से, पुनर्वादी संघ के सदस्य तकनीकी प्रदुषणरोधी स्तर परीक्षण निरीक्षक है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत, मोटर वाहन निरीक्षक स्थायी आधार पर है और इसलिए, मोटर वाहन निरीक्षक, पुनर्वादी संघ द्वारा अभ्यावेदित टी.ए.पी.एल.टी. निरीक्षक से भिन्न है। जब हमने श्री कृष्णामनी विद्वान वरीय अधिवक्ता से प्रश्न किया कि क्या पुनर्वादी स्थायी नियमावली के अंतर्गत कनिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों के समतुल्य दावा करने के हकदार है तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक ही संवर्ग या सेवा के सदस्य नहीं हैं, अतः ये नियमावली उन पर लागू नहीं है। अतः वे स्थायी संवर्ग अधिकारियों के समतुल्य नहीं हो सकते। उपयुक्त सरकार को इस पर निर्णय लेना है। न्यायाधिकरण नीति निर्धारित करने या निर्देश देने या पदोन्नति अवसर प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ऐसा कोई निर्देश नीति निर्धारण के क्षेत्र का अतिक्रमण होगा, जो पूर्णतया उपयुक्त सरकार का अधिकार क्षेत्र है। न्यायाधिकरण, इसलिए आवेदन को अस्वीकार करने और अवमानना के अनुपस्थिति को अवधारित करने में सही है।

पुनर्वाद को खारिज किया जाता है। कोई लागत नहीं।

आर.पी

पुनर्वाद खारिज।

राकेश सिन्हा